कार्यालय, नगर पंचायत, टिकारी

पत्रांक 316   दिनांक 28.8.12

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, टिकारी।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
स्थानीय लेखा शाखा
बिहार–पटना

विषयः– **नगर पंचायत, टिकारी से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 326/2011–12, वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक अनुपालन प्रतिवेदन भेजने कराने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– **भवदीय पत्रांक– 1473 दिनांक– 26.04.2012 एवं 2679 दिनांक– 26.07.2012**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधिन पत्र के आलोक में विषयांकित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–326/2011–12 में उल्लेखित कंडिकाओं पर बिन्दुवार अंकेक्षण आपत्तियों/टिप्पनिओं का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनु. - 2 पृष्ठ

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत टिकारी

ज्ञापांक 316   दिनांक 28.8.12

प्रतिलिपीः– सरकार के संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार–पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत टिकारी

बिहार सरकार
नगर पंचायत, टिकारी (गया)

नगर पंचायत, टिकारी की लंबित कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन।

क्रमांक	कंडिका सं0	आपत्ति के बिन्दु का विवरण	अनुपालन प्रतिवेदन
1	8	गृह कर कम जमा/नहीं जमा	श्री हरिओम प्रसाद, तहसीलदार जो सर्किल नं0– 1 के होल्डिंग टैक्स के प्रभार में हैं। जिनकी मृत्यु हो गई है। फलस्वरूप श्री प्रसाद के द्वारा होल्डिंग टैक्स का काटी हुई रसीद जिसकी कुल राशि 13316.00 (तेरह हजार तीन सौ सोलह) रूपये है। उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है। उक्त राशि श्री प्रसाद के बकाया वेतन वाउचर नं0–347 दिनांक– 05.03.12 के द्वारा कटौती कर ली गई है। तथा अगले अंकेक्षण में दिखला दी जायेगी।
2	9	निगम करों से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं।	माँग एवं वसूली पंजी टैक्स दारोगा द्वारा नहीं तैयार किया गया है। इसके संबंध में टैक्स दारोगा को आदेश दिया गया है कि माँग एवं वसूली पंजी 2008–09 से 2010–2011 तक तैयार की जा रही है। जिसका पर्यवेक्षण नगर प्रबंधक द्वारा किया जा रहा है। इसे तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।
3	10	करो का पुनरीक्षण नहीं।	नगर पंचायत में वर्ष 1989–90 के बाद से कर पुनरीक्षण नहीं किया गया है। नगर पंचायत, टिकारी बोर्ड की बैठक दिनांक– 05. 03.12 के प्रस्ताव संख्या– 2 में होल्डिंग कर का दर को पारित करा ली गई है। जिसे नगर पंचायत, टिकारी के पत्रांक– 104 दिनांक– 05.03.12 के द्वारा दर का अनुमोदन हेतु सरकार के पास भेजी गई है। जिसकी स्वीकृति अभी तक आप्राप्त है। स्वीकृति प्राप्त होते ही इस दिशा में तत्परता पूर्वक पुर्नकर निर्धारण की कार्रवाई की जायेगी। अनुपालन किया जायेगा तथा भविष्य में अंकेक्षण दौरान दिखाई जायेगी।
4	11	सैरात की बंदोबस्ती से हानि।	वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक की अवधि में ताड़ खजूर की बंदोबस्ती अनेको बार इस्तेहार किया गया तथा डाक हेतु तिथि की निर्धारण की गई परन्तु कोई भी इच्छुक व्यक्ति डाक में भाग नहीं लिए। फलस्वरूप वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में ताड खजूर की तथा 2009–10 में कानीहाउस की बन्दोबस्ती नहीं हो सकी। ये भी उल्लेखनीय है की नगर पंचायत का अपना निजि ताड़ खजूर का पेड़ नहीं है और न ही कानीहाउस है। इसी कारण कोई इच्छुक व्यक्ति डाक में भाग नहीं लेते है। भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा।

5	12	**दुकानों का बकाया किराया।**	नगर पंचायत, के दुकानों का बकाया किराया के वसूली हेतु बकायेदार दुकानदारों पर दुकान सील की कार्रवाई की जा रही है। जिससे 77800.00 (सतत्तर हजार आठ सौ) रूपये की वसूली की जा चूकी है तथा चालु वित्तीय वर्ष में बकाये की पूरी वसूली कर ली जायेगी। अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।
6	13	**शिक्षा एवं स्वास्थ्य की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं।**	नगर पंचायत में शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर की वसूली की गई है। जिसका विवरणी प्रस्तुत किया गया है। निर्देशानुसार कटौती की गई राशि को जमा कर दी जायेगी। आपके द्वारा उठायी गई अपत्ति का निराकरण जल्द से जल्द की जायेगी तथा अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।
7	14	**मोबाइल टावर कम्पनीयों पर बकाया।**	नगर पंचायत क्षेत्र में मोबाइल टावर से वसूली का प्रयास किया गया है परन्तु टावर मालिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किये जाने के कारण उनसे वसूली नहीं की जा सकती है। माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक– 584 दिनांक– 21.02.12 द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है। जिसके अनुसार वसूली की कार्रवाई की जा रही है। मोबाईल कम्पनीयों को दैनिक समाचार पत्र प्रभाग खबर के दिनांक– 24.07.2012 के पी0आर0 सं0-- 4413 (नि0नि0) 12–13 के माध्यम से बकाया राशि की वसूली की सूचना दी गई है।
8	17	**ठेकेदारों से विलंब शुल्क न काटे जाने के कारण अधिक भुगतान।**	संवेदकों द्वारा योजनाओं में कार्य समय सीमा के भीतर करा दिया गया है। जिसकी मापी उसी समय ले ली गई तथा कार्य में यदि कोई त्रुटी उत्पन हो जाये तो उसे सुधारात्मक कार्य कराने के उद्देश्य से मापी की इंट्री बाद में की गई। मापी पुस्त में Date of Measurement एवं Date of Entry का अलग–अलग Column है। जिसमें अलग–अलग तिथियाँ अंकित है। प्रशासनिक भवन निर्माण योजना में Time Extention की कटौती की जा रही है।
9	7	**अनुदान**	अनुदान पंजी में आवंटन की गई राशि की पूरी विवरणी अंकित की गई है तथा व्यय की गई राशि अलग–अलग कैश बुक में संधारित है।

27/8/12

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, टिकारी